रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937
No. 238] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/MAGHA 9, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016.

का.आ. 268(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, (एसईआईएए) जम्मू और कश्मीर (जिसे इसमे इसके पश्चात जम्मू और कश्मीर के लिए प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

1.	श्री एस.डी स्वतंत्र हाउस न. 7, सैक्टर-8, त्रिकुट नगर, जम्मू -180012	—अध्यक्ष
2.	श्री महोम्मद अमीन नौशहरी 7, न्यु कालोनी, नगम हजरतबल, श्रीनगर-190006	—सदस्य
3.	निदेशक, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और दूर संवेदी विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार	—सदस्य-सचिव

2. जम्मू और कश्मीर प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. जम्मू और कश्मीर प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है ।

4. जम्मू और कश्मीर प्राधिकरण अपने विनिश्चय को पैरा 5 के अधीन जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों पर आधारित करेगा ।

5. केंद्रीय सरकार, जम्मू और कश्मीर सरकार के परामर्श से, जम्मू और कश्मीर प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजनों हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, जम्मू और कश्मीर का गठन करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	श्री एस.सी. शर्मा 331, शास्त्री नगर, जम्मू - 180004	—अध्यक्ष
2.	डा.एम.के. टाक, 124, मोमिनाबाद (निकट जेकफैड), अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर-192101.	—सदस्य
3.	डा. जी.एम. भटट् प्रौफेसर जियोलोजी जियोलोजी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू ।	—सदस्य
4.	श्री एम. ए. खान, 290, नरसिंहगढ़ (बालगार्डन) श्रीनगर-190010 कश्मीर।	—सदस्य
5.	श्री रछपाल सिंह रायपुर बनतालाब, पी.ओ. रायपुर, जिला व तहसील, जम्मू ।	—सदस्य
6.	श्री बृजभूषण शर्मा # 278, सैक्टर-2, चाननी हिम्मत, जम्मू -180015	—सदस्य
7.	श्री अबुल बशीर तोहीदबाद, नौशेरा, श्रीनगर,	—सदस्य
8.	श्री अबदुल रशीद माकरु हाउस न. 9, लेन न. 11, सैक्टर सी, गुलशन नगर नवगांव, वाईपास, श्रीनगर कश्मीर- 190019	—सदस्य
9.	डा. फलेन्दर कुमार सुदन, प्रौफेसर और विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू।	—सदस्य
10.	वैज्ञानिक, इनचार्ज, जीआईएस लैब, राज्य रिमोट सेसनिंग सैन्टर, (जम्मू और कश्मीर – एसआरसीसी), पारिस्थितिकी, परियार्वरण और दूर संवेदी निदेशालय, जम्मू और कश्मीर सरकार। श्री	—सचिव

6. एसईएसी जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. एसईएसी जम्मू और कश्मीर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों ।

IndiaCode

8. एसईएसी जम्मू और कश्मीर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्य पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि मतैक्य पर नहीं पहुंचा जा सकता हो तो बहुसंख्या का विचार अभिभावी होगा।

9. जम्मू और कश्मीर सरकार, जम्मू और कश्मीर प्राधिकरण और एसईएसी, जम्मू और कश्मीर के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी संविधिक कृत्यों के संबंध में सभी वित्तीय और संभार-तंत्र, का समर्थन का उपबंध करेगा जिसके अंतर्गत वास-सुविधा और अन्य सुविधाएं भी है।

10. जम्मू और कश्मीर प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एसईएसी जम्मू और कश्मीर के अध्यक्ष और सदस्यों को जम्मू और कश्मीर सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसार बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

[सं. जे-11013/31/2007-आई. ए. II (I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

S.O. 268(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Jammu and Kashmir (hereinafter referred to as the Authority for Jammu and Kashmir) comprising of the following members, namely:—

1.	Shri S.D Swatantra House No. 7, Sector -8, Trikuta Nagar, Jammu -180012.	—Chairman
2.	Shri Mohammad Amin Nowshahri 7, New Colony, Nagam Hazratbal, Srinagar-190006.	—Member
3.	Director, Department of Environment, Ecology and Remote Sensing, Government of Jammu and Kashmir.	—Member-Secretary

2. The Chairman and members of the Authority for Jammu and Kashmir shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority for Jammu and Kashmir shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority for Jammu and Kashmir shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Jammu and Kashmir.

5. For the purposes of assisting the Authority for Jammu and Kashmir, the Central Government, in consultation with the Government of Jammu and Kashmir, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir comprising of the following members, namely :—

1.	Shri S. C. Sharma 331, Shastri Nagar, Jammu – 180004	—Chairman
2.	Dr. M. A. Tak 124 Mominabad (near JACKFED), Anantang Jammu and Kashmir – 192101.	—Member
3.	Dr. G. M. Bhat, Professor of Geology, Department of Geology, University of Jammu, Jammu.	—Member
4.	Shri M. A. Khan 290, Nursing Garh (Balgarden) Srinagar – 190010, Kashmir.	—Member
5.	Mr. Rachhpal Singh Raipur Bantalab, P.O. Raipur, Tehsil and District Jammu.	—Member
6.	Shri Braj Bhushan Sharma # 278 Sector 2 Channi Himmat, Jammu – 180015.	—Member
7.	Mr Abul Bashir Touheedbad, Nowshera, Srinagar.	—Member
8.	Shri Abdul Rashid Makroo House No. 9, Lane No. 11, Sector C, Gulshan Nagar Nowgam By-Pass, Srinagar, Kashmir – 190019.	—Member
9.	Dr. Falendra Kumar Sudan Professor and Head of the Department of Economics, University of Jammu, Jammu.	—Member
10.	Scientist, In charge, GIS Lab, State Remote Sensing Centre (J and K –SRSC), Directorate of Ecology, Environment and Remote Sensing, Government of Jammu and Kashmir	—Secretary

IndiaCode

6. The Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Jammu and Kashmir shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for Jammu and Kashmir and the State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority for Jammu and Kashmir and the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Jammu and Kashmir shall be paid in accordance with the concerned rules of the Government of Jammu and Kashmir.

[No. J-11013/ 31/ 2007- IA.II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.